

संरक्षा शाखा
सोलापुर मंडल



Safety Branch
Solapur Division

संरक्षा परिपत्र
Safety Circular
22/2018-19



विषय: वाकी टाकी सेटों का उपयोग ।

Sub: Use of Walkie-Talkie Sets.

दिनांक/Date : 28.02.19

संरक्षा परिपत्र सं. 22/2018-19

सभी संबंधित - सोलापूर मंडल

विषय :- वाकी टाकी सेटों का उपयोग ।

संदर्भ :- रेलवे बोर्ड के पत्र सं 2009/सेफटी (ए एवं आर) 19/29 दिनांक 10.03.2010

वाकी टाकी सेटों के लोको पायलट, गार्ड एवं स्टे प्र /स स्टे मा द्वारा उपयोग पर रेलवे बोर्ड ने अपने उपरोक्त संदर्भ पत्र द्वारा निम्न नियमों को जारी किया है ।

- i) लोको पायलट /गार्ड को अपनी गाडी नियंत्रित / रोकने हेतु तुरंत ध्यानाकर्षण आवश्यक होने पर असमान्य स्थिति की सूचना स्टेशन मास्टर द्वारा वाकी टाकी पर दी जा सकती है ।
- ii) वाकी टाकी सेटों का उपयोग , किसी भी स्थिति में सामान्य एवं सहायक नियम में वर्णित आगमन / प्रस्थान की शर्तों का उल्लंघन नहीं हो, इस तरह किया जाना चाहिए ।
- iii) वाकी टाकी सेटों का उपयोग लिखित प्रस्थान प्राधिकार, रोक सिगनल को आन में पार करने के प्राधिकार आदि के विकल्प के रूप में नहीं किया जाना चाहिए ।
- iv) स्टेशन मास्टर द्वारा लोको पायलट / गार्ड को किसी सिगनल के संकेत/ स्थिति को बताने के लिये इन सेटों को उपयोग नहीं करेगा। यदि किसी सिगनल का संकेत आन हो तो लोको पायलट /गार्ड सूचना दे सकते हैं ।
- v) वाकी टाकी सेटों का उपयोग वास्तविक सिगनलों के आदान- प्रदान के स्थान पर या विकल्प के रूप में नहीं करना चाहिये । फिर भी निम्न परिस्थितियों में जब गाडी पूर्ण लंबाई की हो तो लोको पायलट एवं गार्ड के बीच सिगनल आदान प्रदान के लिये वाकी टाकी सेटों का प्रयोग किया जा सकता है जब कि वास्तविक सिगनल का आदान प्रदान संभव न हो और सिगनल आदान - प्रदान करने की शर्तें पूर्ण हो गयी हैं ।

क) स्टेशन से गाडी रवाना / चलाने के समय ।

ख) स्टेशन खंड में घुमाव / टनेल में रुकी गाडी को चलाते समय ।

ग) चलते समय, जब कि घुमाव या भौगोलिक स्थिती के कारण यह संभव न हो ।

- vi) उक्त सभी मामलों में जहां स्टेशन मास्टर या लोको पायलट या गार्ड वाकी टाकी सेटों का उपयोग करते हैं , जब बात करना हो तो वे अपनी पहचान स्टेशन का नाम/गाडी क्रमांक स्पष्ट रूप से बतायेंगे और दुसरी ओर से बात करने वाले की पहचान सुनिश्चित करेंगे ।

यह ध्यान रखना चाहिये कि सा.नि. 4.35 (1) में वर्णित निर्देशों में किसी भी रूप में छूट नहीं दी गई है । लोको पायलट अपनी गाडी, प्रस्थान प्राधिकार स्टेशन से एवं गार्ड द्वारा रवाना करने हेतु सिगनल मिलने पर ही रवाना करेगा । दृश्यता खराब में जैसे कोहरा के समय एवं घुमाव या अन्य परिस्थितियों में जहां गार्ड तथा लोको पायलट के बीच "सब ठीक है" सिगनल वास्तविक आदान प्रदान करना प्रेक्टीकली संभव नहीं है, तो उपर बताये पैरा (vi) वर्णित विधि अनुसार वाकी टाकी सेट पर सिगनल का आदान प्रदान की तभी अनुमति है ।

(सुरेश कुमार एन टी)

वरिष्ठ मंडल संरक्षा अधिकारी, सोलापूर.